

11-9-14 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संप ने कार्य का निष्कार किया है। P.O. सहब दीरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि० 16-10-14 को पेश हो।

82
रीडर

16-10-14 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील-
अवकाश-उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
दीरे पर है। अवकाश पर है/का अवकाश-
उपस्थित है। अतः पत्रावली दि० 27-11-14
को पेश हो।

82
रीडर

27-11-14 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील-
अवकाश-उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
दीरे पर है। अवकाश पर है/का अवकाश-
उपस्थित है। अतः पत्रावली दि० 5-12-14
को पेश हो।

82
रीडर

5-12-14

वकील सायलगाण उप० है। जैरसायल नारायण
मावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः जैरसा
नारायण के विरुद्ध एगतरफा कार्यवाही की जाई
र.ज. की बद्दस सुनी गई। वकील सायलगाण
र.ज. प्राप्त्र हवीकार करने का निवेदन कि
बद्दस पर मजल किया। प्रस्तुत अभिलेख का
अवलोकन किया। विवादित भूमि खण्ड नं०
1355 ग्राम चूली की हम मौका खं रे
0-40 है। यथास्थिति मूल नद के निर्णय तक का
रखना उचित समझते हैं।

अतः र.ज. प्राप्त्र आंशिक रूप से
स्वीकार किया जाकर भूमि खण्ड नं० 1355
40 एयर ग्राम चूली की ताफैसला मुकदमा मौ
व रेकार्ड की स्थिति यथावत रखने का आदेश
दिया जाता है।

पत्रावली फैसलामार शेकर नम्बर
कम हो खं बाद तकमील मूल नद के साथ
संलग्न रहे।

83
उप जिला कलेक्टर
गढ़वाल जिला

